न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4325–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 15/14–15.

वंशीलाल ग्वाल पुत्र श्री हरचंदा ग्वाल,
आयु 55 वर्ष, व्यवसाय–शासकीय सेवा,
निवासी ग्राम बदरवास, परगना कोलारस,
जिला शिवपुरी म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कृष्ण गोयल,
आयु 65 लगभग, व्यवसाय गृहणी,
निवासी ग्राम बदरवास, परगना कोलारस,
जिला शिवपुरी म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री विवेक व्यास अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 8/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश 22–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 1191/4/मिन–1 रकबा 0.21 हेक्टेयर (30×675=20500 वर्गफीट) के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–10–13 को प्रकरण क्रमांक 25/13–14/बी–121 दर्ज किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–1–2014 को थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया है एवं पंचनामा तैयार किया गया । स्थल निरीक्षण में 6 फीट जमीन वंशीलाल के आधिपत्य में पाई गई । तहसीलदार द्वारा अभी तक प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध नहीं की गई, अतः प्रकरण में जल्दी निराकरण कराया जाकर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में शीघ्र निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये। कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/13–14/अ–70 दर्ज कर दिनांक 6–9–2014 को आदेश पारित कर आवेदक को आदेश दिये गये कि आवेदक अनावेदक की भूमि का कब्जा सौपे । साथ ही अवैध कब्जा करने के कारण प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत रूपये 64,400/– जुर्माना अधिरोपित किया गया । आवेदक को यह भी आदेश दिया गया कि वह 7 दिन में कब्जा हटा कर भूमिस्वामी को सौपे तथा अनावेदक कब्जा प्राप्ति की रसीद एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा जुर्माने की राशि खजाने में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें । यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया गया तो आवेदक को संहिता की धारा 250 (क) के अंतर्गत सिविल जेल की कार्यवाही के लिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाये । जुर्माना जमा कर रसीद न प्रस्तुत किये जाने पर संहिता की धारा 147 के तहत रीडर प्रकरण दर्ज कर आवेदक से जुर्माने की वसूली की कार्यवाही की जावे । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही स्थगन हेतु संहिता की धारा 52 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–12–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–9–2014 को सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिया गया है जिसके तहत आवेदक को संहिता की धारा 250 (क) नियम 3 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र तथा नियम 4 के अंतर्गत वारंट भी जारी किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के मूल आदेश दिनांक 6–9–2014 पर स्थगन दिया जाना उचित नहीं है, आवेदक द्वारा संहिता की धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत

आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–2–2014 को सीमाकंन करने के आदेश दिये गये है, परन्तु आवेदक की भूमि का सीमाकंन किये बिना तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–9–2014 को आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के प्रकरण में अनावेदक का पुत्र उपस्थित हुआ है, अतः तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः दुषित कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अवैध कब्जा किये जाने के 2 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, जबकि अनावेदिका का यह कहना है कि विक्रय पत्र वर्ष 1989 का है, जिसके तहत अनावेदिका को पूर्ण कब्जा दे दिया गया था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30–5–2014 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 30 के अंतर्गत प्रकरण के अंतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनेक बार अभिलेख की मांग करने पर भी तहसीलदार द्वारा अभिलेख नहीं भेजा गया तथा दिनांक 6–9–2014 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से आवेदक को सिविल जेल भेज दिया जायेगा, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि आवेदक शासकीय सेवक है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुत्र के कार्यवाही में हिस्सा लेने से तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया दुषित नहीं होती है, क्योंकि अनावेदक का पुत्र उसका प्रतिनिधि है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त भी उसके द्वारा कब्जा नहीं दिये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय सेवक होने के उपरान्त भी अवैध रूप से

अनावेदक की भूमि पर कब्जा किया गया है और तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं करने से की जा रही सिविल जेल की कार्यवाही पूर्णतः उचित है । आवेदक इसलिये स्थगन प्राप्त करना चाहता है ताकि वह अनावेदिका की भूमि पर अवैध कब्जा बनाये रखे ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दर्ज कर ली गई है । ऐसी स्थिति में यदि आवेदक को सिविल कारावास भेज दिया गया तो उसे निश्चित रूप से जहां अपूर्णीय क्षति होगी वही उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरर्थक हो जायेगी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में स्थगन देना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा स्थगन नहीं देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–9–2014 का कियान्वयन तीन माह के लिये स्थगित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाये कि वह 3 माह में अपील का अंतिम रूप से निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, परगना कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे 3 माह में अपील का अंतिम रूप से निराकरण करें तब तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–9–2014 का कियान्वयन स्थगित किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर